आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–66 / 2022	
05.01.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के प्रतिनिधि के तौर पर श्री ललित राम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ऊँटारी रोड, पलामू उपस्थित हैं। सुनवाई प्रारंभ होते ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। शिकायतकर्ता से जब शिकायत वापस लेने के संदर्भ में जानकारी ली गई तो शिकायतकर्ता ने कहा कि सुनवाई से 01 दिन पहले राशन डीलर उनके घर आए और उन्होंने कहा कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उन्हें बुला रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ऊँटारी रोड जो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के भी चार्ज में हैं, उनके समक्ष पहले से लिखी हुई आवेदन पर हस्ताक्षर करवाया गया। शिकायतकर्ता का यह कहना कानून का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद सुनवाई से 01 दिन पहले राशन डीलर का शिकायतकर्ता के पास जाना, यह प्रमाणित करता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय या जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय से राशन डीलर को आयोग में शिकायत दर्ज करने की जानकारी दी गई, जो कदापि नहीं दी जानी थी। जिस डीलर के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी उसे सुनवाई से पहले जानकारी देने के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जिस पर चोरी का आरोप हो, उसे ही मामले को सुलझाने की जिम्मेवारी दे दी गई। यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। इसकी गहनता से जाँच होनी चाहिए। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे पूरे मामले की जाँच करते हुए इस बात का प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें कि डीलर को शिकायत–वाद की जानकारी किसने मुहैया कराई, डीलर शिकायतकर्ता के घर क्यों गया और किसके कहने पर गया ? आयोग यह मानता है कि	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	पहले गड़बड़ी की गई, फिर गड़बड़ी को ढंकने के लिये षड़यंत्र रचा गया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में इस बात का भी उल्लेख किया है कि उनकी माँ की मृत्यु वर्ष–2016 में हुई थी और मृत्यु के बाद ही उनके द्वारा अपनी माँ का नाम राशन कार्ड से हटाने के लिये आवेदन दिया गया। किन्तु माँ का नाम नहीं हटाया गया एवं उनकी माँ के नाम के राशन का डीलर द्वारा उठाव किया जाता रहा। आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद सुनवाई से 01 दिन पहले उनकी माँ का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। ऐसे में यह प्रमाणित होता है कि राशन डीलर द्वारा वर्ष–2016 से वर्ष–2022 तक शिकायतकर्ता की माँ को मिलने वाला राशन का उठाव करने के साथ, इसका गबन भी किया गया। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि इस पूरे मामले की जाँच–पड़ताल कर प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें कि शिकायतकर्ता द्वारा माँ का नाम वर्ष–2016 में हटाये जाने हेतु आवेदन देने के बावजूद वर्ष–2022 में नाम क्यों हटाया गया ? एक तरफ राज्य भर में पर्याप्त कोटा नहीं होने के कारण जरूरतमंद नये लाभुकों को नहीं जोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर आवेदन देने के बाद भी मृतक व्यक्ति का नाम नहीं हटाया जाता है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को यह निर्देश देता है कि यदि राशन डीलर द्वारा वर्ष–2016 से वर्ष–2022 तक गंगाजली कुँवर के नाम से राशन का उठाव किया गया है, तो डीलर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जाय एवं गबन किये गये अनाज की वसूली भी की जाय। शिकायतकर्ता ने आयोग को इस आशय की भी जानकारी दी कि राशन डीलर उनकी माँ का नाम हटाने के लिये 500/– रू0 रिश्वत मांग रहा था। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि सुनवाई से 01 दिन पहले उनके घर में एक बोरा चावल भेजा गया। इस बोरे में कितना चावल भेजा गया, न इसका माप कराया गया, न वजन की जानकारी दी गई। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता ने माह अप्रैल, 2022 से राशन	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	नहीं मिलने की शिकायत की है। ऐसे में माह अप्रैल, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक शिकायतकर्ता को कानूनन जितना अनाज मिलना चाहिए था, उसका सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं इसका प्रमाण आयोग को भेजें। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि वे 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएँ। इस पूरे मामले में प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय के साथ–साथ DSO कार्यालय के भी मिलीभगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि सम्पूर्ण मामले की गहनता से जाँच कर दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को चिन्हित कर सारगर्भित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–20.01.2023 निर्धारित की जाती है। दिनांक–20.01.2023 से पहले अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू संपूर्ण जाँच प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपायुक्त, पलामू को इस आशय के साथ भेजा जाय कि वे इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू से इस मामले की जाँच प्रतिवेदन ससमय समर्पित करवाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को अनुपालनार्थ भेजें। अभिलेख निर्धारित तिथि दिनांक–20.01.2023 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx44	